यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल वकास परियोजना अ धकारी, बेरीनाग (पथौरागढ़) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, बेरीनाग (पथौरागढ़) के माह 12/2014 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री र व शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री वजय कुमार वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18/11/2017 से 23/11/2017 तक श्री एस0के0 जौहरी लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- यह इकाई की प्रथम लेखापीरक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2014 से 10/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- आंगनबाड़ी केन्दो के माध्यम से लाभा र्थयों को 1-अनुपूरक पोषाहार 2-स्वास्थ्य परीक्षण 3-संदर्भ सेवाए 4-प्रतिरक्षण टीकाकरन 5-पोषण एवं स्वास्थ्य शक्षा 6-स्कूल पूर्व शक्षा (प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शक्षा) मुंस्यारी वकास खण्ड।

(II) (इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अ धक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	27.49	25.50	188.55	155.88	--	34.66
2015-16	--	--	33.32	29.11	205.72	203.10	--	6.83
2016-17	--	--	54.37	30.07	201.61	183.51	--	42.4
2017-18 (10/2017 तक)	--	--	25.26	21.56	133.68	70.52	--	66.86

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय	बचत (-)
2014-15	समन्वित बाल वकास परियोजना के संचालन/क्रयान्वयन	00	4510000	3746871	763129
	पुष्टाहार कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था	00	6000000	5242100	757900
	समन्वित बाल वकास परियोजना के अन्तर्गत अनुसू चत जाति बाहुल्य ग्रामों में आंगनबाडी केन्द्र के संचालन/क्रयान्वयन	00	1700000	1325715	374285
	समन्वित बाल वकास योजना अनु0 जातियों के लए कम्पोनेंट	00	1800000	1800000	00
2015-16	समन्वित बाल वकास परियोजना के संचालन/क्रयान्वयन	00	4938500	4857598	80902
	पुष्टाहार कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था	00	5300000	5300000	00
	समन्वित बाल वकास परियोजना के अन्तर्गत अनुसू चत जाति बाहुल्य ग्रामों में आंगनबाडी केन्द्र के संचालन/क्रयान्वयन	00	1685000	1674749	10251
	समन्वित बाल वकास योजना अनु0 जातियों के लए कम्पोनेंट	00	1850000	1850000	00
2016-17	समन्वित बाल वकास परियोजना के संचालन/क्रयान्वयन	00	5300000	3612680	2438737
	पुष्टआहार क्रायक्रमो के अंतर्गत दिया जाना वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यस्था।	00	6000000	6000000	00
	समन्वित बाल वकास परियोजना के अन्तर्गत अनुसू चत जाति बाहुल्य ग्रामों में आंगनबाडी केन्द्र के संचालन/क्रयान्वयन	00	1670000	1298094	371906
	समन्वित बाल वकास योजना अनु0 जातियों के लए कम्पोनेंट	00	2910000	2910000	00
2017-18	समन्वित बाल वकास परियोजना के संचालन/क्रयान्वयन	00	2963000	2485274	477726
	पुष्टआहार क्रायक्रमो के अंतर्गत दिया जाना वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यस्था।	00	3775000	00	3775000
	समन्वित बाल वकास परियोजना के अन्तर्गत अनुसू चत जाति बाहुल्य ग्रामों में आंगनबाडी केन्द्र के संचालन/क्रयान्वयन	00	1260000	888511	371489
	समन्वित बाल वकास योजना अनु0 जातियों के लए कम्पोनेंट	00	2650000	1750000	900000

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई "C" श्रेणी (जिस श्रेणी के अर्न्तगत इकाई आती है, उसे इंगति कया जाय) की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव 2. निदेशक 3. डी0पी0ओ0 4. सी0डी0पी0ओ0

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में बाल वकास परियोजना अ धकारी, बेरीनाग (पथौरागढ़) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल वकास परियोजना अ धकारी, बेरीनाग (पथौरागढ़) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 01/2015 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। बाल वकास परियोजना अ धकारी, बेरीनाग (पथौरागढ़) का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय बाल वकास परियोजना अ धकारी, बेरीनाग (पथौरागढ़) के आधार पर कया गया। नन्दा देवी योजना, आँगनबाडी केन्द्रो का निर्माण, वृद्ध महिला पोषण, THR/Cooked Food.

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **01** :- धनरा श की उपलब्धता के बावजूद वभागीय उदासीनता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत **13** लाभा र्थयो को योजना के लाभ से वं चत रख **₹ 1.95** लाख की धनरा श को अवरूद्ध रखा जाना।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवा सयों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बा लकाओ ने जन्म लया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त की समस्त शर्ते पूरी करते हो, को दिया जाना है। योजना के अंतर्गत आ र्थक सहायता के रूप में ₹ 15000/- की धनरा श तीन कस्तों में प्रदान की जायेगी।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, बेरीनाग के योजना के अ भलेखो की लेखापरीक्षा में पाया गया क योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 की अव ध हेतु पात्र 129 आवेदको को भुगतान करने हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी पथौरागढ़ द्वारा ₹ 19.35 लाख की धनरा श उपलब्ध कराई गयी थी परंतु इकाई द्वारा इस कार्य में श थलता बरतते हुए लेखापरीक्षा अव ध तक कलु 116 आवेदको को ही धनरा श का भुगतान कर लाभान्वित कया गया था जब क 13 आवेदको को योजना के लाभ से वं चत रख इस धनरा श (₹ 1,95,000/-) को इकाई के बैंक खाते में अवरूद्ध रखा गया था जो योजना के दिशानिर्देशों के वपरीत था। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क लाभा र्थयो के बैंक खातो का ववरण उपलब्ध न होने के कारण धनरा श वतरित नहीं की जा सकी, बैंक खातो का ववरण उपलब्ध होते ही संबं धत लाभा र्थयो के खातो में धनरा श वतरित कर दी जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क योजना के निर्देशानुसार आवेदनपत्र प्राप्त करते समय ही समस्त जानकारी प्राप्त कर लया जाना वभाग का दायित्व था, योजना की धनरा श प्राप्त हो जाने के बाद उसको व भन्न कारणो का हवाला देकर रोका जाना उ चत नहीं था।

अतः धनरा श की उपलब्धता के बावजूद वभागीय उदासीनता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत 13 लाभा र्थयो को योजना के लाभ से वं चत रख ₹ 1.95 लाख की धनरा श को अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **02** :- वभागीय उदासीनता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत **395** लाभा र्थयो को योजना के लाभ से वं चत रखे जाने के परिणामस्वरूप **₹ 15000/-** प्रति की दर से **₹ 59.25** लाख का भुगतान कया जाना लंबित रहना।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवा सयों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बा लकाओ ने जन्म लया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त की समस्त शर्ते पूरी करते हो, को दिया जाना है। योजना के अंतर्गत आ र्थक सहायता के रूप में ₹ 15000/- की धनरा श तीन कस्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम कश्त के रूप में ₹ 5000/- की धनरा श बा लका के अ भभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कए जाने पर A/C Payee चेक के माध्यम से कन्या के अ भभावक को प्रदान की जायेगी। शेष ₹ 10000/- की धनरा श की F.D. बैंक में कन्या तथा उसके माता- पता के नाम से संयुक्त रूप से करायी जाएगी। IInd कश्त के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता- पता के खाते में E-Transfer के माध्यम से ₹ 5000/- की धनरा श हस्तांतरित की जाएगी। शेष धनरा श को पुनः 8 वर्षो की अव ध के लये F.D. करा दी जाएगी जिसमे से IIInd एवं अंतिम कश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनरा श लाभार्थी बा लका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, Highschool में अध्यानरत होने तथा अ ववाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना के अ भलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया क योजना हेतु कुल 395 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। यह सभी आवेदन पत्र जनपद स्तरीय स मति की स्वीकृति हेतु जिला स्तर (जिला कार्यक्रम अ धकारी कार्यालय) पर न भेजे जाकर इकाई द्वारा अपने पास ही रखे गए थे, जिससे इन आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही न होने से आवेदनकर्ता इस योजना के लाभ से वं चत थे तथा इन आवेदन पत्रो को जिला स्तर पर स्वीकृति हेतु न भेजे जाने से ₹ 59,25,000/- की धनरा श का भुगतान लंबित था। लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क योजना की धनरा श उपलब्ध न होने के करण उक्त आवेदन पत्रो पर कार्यवाही लंबित है योजना की धनरा श उपलब्ध होते ही संबं धत लाभार्थी हेतु बजट की मांग की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क योजना के निर्देशानुसार बाल वकास परियोजना अ धकारी दवारा प्राप्त समस्त आवेदपत्रों की गहनतापूर्वक जांच करते हुए 15 दिन के अंदर जनपद स्तरीय स मति के सम्मुख स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी को प्रस्तुत कया जाएगा जो इस योजना के नोडल अ धकारी होंगे। स मतित द्वारा स्वीकृत आवेदनपक्षों की संख्या के आधार पर ही जिला कार्यक्रम अ धकारी कार्यालय द्वारा निदेशालय से बजट की मांग की जाती है जब क इकाई द्वारा उक्त कार्यवाही न करते हुए आवेदनपत्रों की परियोजना स्तर पर ही लंबित रखा था जिससे 395 आवेदक योजना के लाभ से वंचति रहे।

अतः वभागीय उदासीनता के करण 395 लाभार्थी योजना के लाभ से वं चत थे जिनको ₹ 15000/- प्रति की दर से ₹ 59.25 लाख का भुगतान कया जाना लंबित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **03** :- **₹ 265.62** लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 460/XVII(4)/2016-129/06TC दिनांक 10/02/2016 तथा I.C.D.S. निदेशालय देहरादून के पत्रांक C-29/रिपोर्ट/14/2017-18, दिनांक 05/04/2017 द्वारा मुख्य मंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्दे शत कया गया था।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, बेरीनाग, पथौरागढ़ के अ भलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया क मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु इकाई को वर्ष 2015-16 में आवंटित धनरा श ₹ 25.50 लाख के सापेक्ष ₹ 25.50 लाख का व्यय तथा वर्ष 2016-17 में आवंटित धनरा श ₹ 9.10 लाख के सापेक्ष ₹ 9.10 लाख का व्यय कया गया। इकाई के द्वारा उक्त धनरा शया E-Transfer के माध्यम से हस्तांतरित की गयी थी, जिसके उपयोग प्रमाण पत्र माता स मतियों से प्राप्त कया जाना अपे क्षत थे, परन्तु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ तक (नवम्बर 2017) उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नही कये गये थे, जो क शासनादेश के वपरीत है। साथ ही इससे यह भी ज्ञात नही हो सका क अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उक्त धनरा शयाँ की उसी मद में व्यय कया गया, जिस हेतु धनरा श आँवटित की गयी थी।

इसी प्रकार इकाई को वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में क्रमशः ₹ 78.50, 71.50, 89.10 लाख की धनरा शयाँ आवंटित की गयी थी, जिसके सापेक्ष व्यय वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 को क्रमशः ₹ 70.42, 71.50, 89.10 लाख का व्यय कया गया था। इकाई द्वारा व्यय की कुल धनरा श ₹ 231.02 के सापेक्ष UCs प्राप्त करते थे, परन्तु उक्त धनरा श के भी UCs इकाई में अप्राप्त थे।

इं गत करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया क उपभोग प्रमाण पत्र करने हेतु सम्बन्धित सुपवाईजरों को निर्दे शत कया जा रहा है।

इस प्रकार इकाई का उत्तर आप त को स्वीकार करता है। अतः ₹ 265.62 लाख के उपयो गता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु बाल वकास परियोजना अ धकारी, बेरीनाग (पथौरागढ़) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं

   शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्रीमती रा धका ह्ंयाकी		दिसम्बर 2014 से 31.01.17 तक
2.	श्रीमती इन्दु चन्द्र		01 फरवरी 2017 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति बाल वकास परियोजना अ धकारी, बेरीनाग (पथौरागढ़) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.